न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 152/2020 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2020/00152)

1. विदरू पुत्र शिवलाल
2. मुखराम पुत्र गोपीराम
3. ज्ञानी पुत्र सरूप
4. हरभान पुत्र रामजीलाल

जाति गूजर निवासी ग्राम बरनोल तहसील कामां जिला भरतपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

1. राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलक्टर भरतपुर।
2. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय विलोंद तहसील कामां जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आरक्षण आदेश दिनांक 19.9.2000 द्वारा जिला कलक्टर भरतपुर पत्रावली कमांक/राजस्व/12/12 (27)/2000/21

उपस्थितिः—

श्री महाराज सिंह वकील अपीलान्ट।

नि र्ण य

दिनांकः— 04.04.2023

उक्त अपील जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा जारी किये गये भूमि आरक्षण आदेश कमांक राजस्व/12/12 (27)/ 2000/21 दिनांक 19.9.2000 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प.15 (12)राज/6/99/5 दिनांक 3.5.2000 के अनुसरण में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन तहसील कामां जिला भरतपुर के अपीलाधीन आदेश में अंकित कुल 34 गांवों के नाम के आगे अंकित आराजी खसरा नम्बरान की भूमि उनके सामने अंकित प्रयोजन हेतु भूमि आरक्षित (सैट अपार्ट) की गई है। अपीलान्ट का कहना है कि खसरा नम्बर 100/16–14 वाकै ग्राम बरनोल तहसील कामां से 2.76 हैक्टेयर (अपीलाधीन आदेश के कम संख्या 13 पर अंकित) भू भाग का रैस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा रैस्पोडेन्ट संख्या 2 की फील्ड के लिये खण्डनाधीन आदेश दिनांक 19.9.2000 से आरक्षित (सैटापार्ट) किया गया है यह भूमि उसके पूर्वजों की मिलकीयत व खुदकाश्त खातेदारी में रही है इसलिऐ जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित आरक्षण आदेश दिनांक 19.9.2000 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। बहस हेतु नियत दिनांक को रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में मीमो आफ अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद गिरिल है जो काबिल मंसूखी है। अदालत मातहत का आदेश न्याय संगत नहीं जा सकता क्यों कि अपीलान्ट के कब्जे एवं खातेदारी के खसरा नम्बर 100/16-14 वाकै ग्राम बरनोल तहसील कामां से 2.76 हैक्टेयर भू-भाग का उत्तरवादी संख्या 1 के द्वारा उत्तरवादी संख्या 2 की फील्ड के लिऐ खण्डनाधीन आदेश दिनांक 19.9.2000 से आरक्षित (सैटअपार्ट) किये जाने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के विरूद्ध उक्त अपील अदालत हाजा में पेश की गई है। आराजी खसरा नम्बर 100/16-14 वाकै ग्राम बरनोल तहसील कामां जिला भरतपुर अन्य आराजी के साथ अपीलान्ट के पूर्वज शिवलाल सदरो व सुन्दर पुत्रान मंगल की मिलकीयत व खुदकाश्त में रही है। इस संबंध में जमाबन्दी सम्वत 2013 से 2016 में खाता संख्या 1 व खेवट संख्या 1 पर उक्त आशय के इन्द्राज भी अंकित रहे है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने व राज0 जमीदारी व बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के प्रभाव में आने के समय यानि सम्वत 2012 व सम्वत 2016 दोनों ही समय विवादित आराजी अपीलान्ट के उक्त पूर्वजों की खेवट व खुदकाश्त में होने के कारण इस भूमि पर अन्य आराजी के साथ उन्हें खातेदार अधिकार (मालिक काश्तकार) प्राप्त हो गये थे। जिन्हें अपीलान्ट ने पूर्वजों के मरणोपरान्त उत्तराधिकार में प्राप्त किया है। इस प्रकार विवादित आराजी उक्त आरक्षण के दिन अपीलान्ट व उसके पूर्वजों की खातेदारी में एवं कब्जे काश्त में रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की कब्जेकाश्त व खातेदार की भूमि को उत्तरवादी संख्या 2 को आवंटन (आरक्षण) किये जाने का आदेश देने में भारी त्रुटी की है। कथित आवंटन (आरक्षण) वाली विवादित भूमि खण्ड कभी खाली नहीं रही है बल्कि अपीलान्ट व उनके पूर्वजों द्वारा अधिग्रहित रही है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को बिना बेदखल किये, बिना सुने और बिना मौका रिपोर्ट प्राप्त किये अपीलाधीन आदेश देने में भारी त्रुटी की है। जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा आरक्षण आदेश पारित करने से पूर्व नियमों की कोई पालना नहीं की है न तो नोटिस जारी नहीं किये गये है और न ही मौके की पटवारी/गिरदावर से वास्तविक कब्जे काश्त होने की कोई रिपोर्ट प्राप्त की गयी है। वरन् अपने स्तर पर ही एकतरफा में कागजी कार्यवाही करते हुये खण्डनाधीन आदेश देने में भारी त्रुटी की है। आरक्षित किये जाने से पूर्व किसी प्रकार की कोई उद्घोषणा व नोटिस इश्तहारीआम की जानकारी के लिये अधिनस्थ न्यायालय ने जारी नहीं किया। इसलिए अपीलाधीन आदेश सामान्य न्याय प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। विवादित खसरा नम्बर के आलावा अन्य भूमियों के संबंध में अपीलान्ट के पूर्वजों को धारा 5(4) व 29(2) राज0 जमीदारी एवं बिस्वेदारी उन्मूलन एक्ट के प्रावधानों के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा चुके हैं। केवल विवादित खसरा नंबर को ही राजस्व

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

कर्मचारियों की गलती से बंजर सिवायचक दर्ज कर दिया गया। इसकी वजह से यह आरक्षण आदेश गलत हुआ है जो निरस्त योग्य है। क्योंकि विवादित भूमि को बिना किसी सक्षम आदेश के सिवायचक दर्ज किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया है और उनसे खातेदारी की आराजी को उत्तरवादी संख्या 2 को नाजायज रूप से फील्ड हेतु आरक्षण/आवंटन कर दिया है जिके बने रहने से अपीलान्ट के अधिकारों पर कुठाराघात होता है। इसलिऐ अपीलान्ट अपीलाधीन आदेश से परिवेदित है। अपीलान्ट की ओर से उक्त आरक्षण आदेश के विरूद्ध अपील पेश किये जाने की अनुमति हेतु सी.पी.सी. की धारा 96 के तहत प्रार्थना पत्र भी अदालत हाजा में पेश किया गया है। अपीलाधीन आदेश की आज तक अपीलान्ट को पूर्व में कोई जानकारी नहीं रही थी। दिनांक 10.9.2017 को इस संबध में पटवारी हल्का द्वारा बतलाने पर अपीलान्ट ने इस मामले की जांच करायी है और जांच होने पर दिनांक 11.9.2017 को खण्डनाधीन आदेश की नकल लेने हेतु अधीनस्थ प्राधिकारी के समक्ष आवेदन किया जिस पर दिनांक 14.9.2017 को नकल आदेश तहत मिली है और आदेश तहत की वास्तविक जानकारी हुई है जानकारी होने के दिन से यह अपील अपीलान्ट द्वारा बिना किसी देरी के अन्दर अवधि पेश की गयी है। अपील को पेश करने में हुये विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु अपीलान्ट की ओर से दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसका रैस्पों0 की ओर से कोई जवाब या काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार करते हुए स्वीकार की जाकर अपीलाधीन भूमि आरक्षण आदेश दिनांक 19.09.2000 को निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से अपील विलम्ब से पेश किये जाने के कारण मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निस्तारित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ मियाद को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 10.09.2017 को होने व उक्त आदेश की नकल दिनांक 14.09.2017 को प्राप्त होने पर अन्दर मियाद अपील पेश किये जाने का उल्लेख किया गया है। इस प्रार्थना पत्र का रैस्पों0 की ओर से न तो कोई जबाब पेश किया गया और न ही कोई काउन्टर शपथ पेश किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक से पूर्व में रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित किये जाने का जिला कलक्टर को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। जिला कलक्टर ने उक्त आदेश राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.15 (12)राज/6/99/5 दिनांक 03.05.2002 के अनुसरण में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 92 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.2000 को नियमानुसार पारित किया गया है। इसलिए अपीलाधीन आदेश में किसी तरह की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नजर नहीं आती है। क्योंकि उक्त आदेश ग्राम पंचायत, पटवारी, तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी कामां से प्राप्त प्रस्ताव व राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसरण में प्रदत्त शक्तियों के तहत जारी किया गया है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क कि विवादित भूमि राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 व राज0 जमीदारी व बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के प्रभाव में आने के समय यानि सम्वत् 2012 व सम्वत् 2016 के समय अपीलान्ट के पूर्वजों के खेवट तथा खुद काश्त में दर्ज होने के कारण उक्त आराजी पर अन्य आराजी के साथ–साथ खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे। जो कि पूर्वजों की मरणोपरांत उत्तराधिकार में अपीलान्ट को प्राप्त हो गये हैं। इसी प्रकार राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर दिये जाने के कारण उक्त भूमि गलत रूप से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित की गयी है। तो वकील अपीलान्ट द्वारा इस तरह का कोई रिकार्ड या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट होता हो कि वक्त आरक्षण आदेश विवादित भूमि अपीलान्ट के कब्जेकाश्त व खातेदारी में रही है। दूसरी ओर अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ जो रिकार्ड संलग्न किया गया है उसमें विवादित भूमि जिसके संबंध में जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित किये जाने का आदेश जारी किया गया है, जमाबन्दी सम्वत् 2022–2025 व 2025–2029 में इस आशय का नोट अंकित किया हुआ है कि जमीदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के मुताबिक 15.11.1959 से जमींदारी समाप्त की गयी है। अतः वकील अपीलान्ट का यह तर्क सारहीन हो जाता है कि वक्त आरक्षण आदेश विवादित भूमि अपीलान्ट के कब्जे काश्त या खातेदारी में रही हो तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से विवादित भूमि को सिवायचक दर्ज किया गया हो। इसी प्रकार अपीलान्ट के पूर्वजों की खुदकाश्त में दर्ज अन्य भूमि के खातेदारी में दर्ज होने तथा विवादित भूमि के खातेदारी में दर्ज नहीं किये जाने का जहां तक प्रश्न है तो इस संबंध में अपीलान्ट नियमानुसार सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है परन्तु उक्त प्रकरण में जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा राज्य सरकार की ओर से जारी परिपत्र दिनांक 03.05.2000 के अनुसरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत, पटवारी, तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी कामां से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर विवादित भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों पर अविश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। मियाद संबंधी बिन्दु पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी निम्न नजीरों में मियाद के बिन्दु के संबंध में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अपीलीय न्यायालय को मियाद संबंधी बिन्दु पर उदार रूख रखना चाहिये तथा तकनीकी आधार पर अपील खारिज नहीं की जानी चाहिये। जो कि निम्नानुसार है।

आर.आर.डी. 2002 पेज 37 पर उद्धरित निर्णय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि:–

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

"Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large

would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

इसी प्रकार आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, पर उद्धरित निर्णय में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

"Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling The appeal"

अतः अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पर में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए उपरोक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों से सादर सहमत होते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलाधीन आदेश संबंधी मूल पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी कामां से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 12.06.2000 के आधार पर पारित किया गया है। तहसीलदार कामां ने अपने प्रस्ताव में यह उल्लेख किया है कि विवादित खसरा नंबर 100 रकबा 2.76 है0 किस्म जमीन बंजर कदीम है। उक्त भूमि मौके पर खाली है। कोई विवाद नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि को आरक्षित किये जाने के संबंध में अनापत्ति दी गई है। तहसीलदार के पत्र के साथ ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 22 दिनांक 15.05.2000, पटवारी हल्का बिलोद की मौका रिपोर्ट दिनांक 22.03.2000 नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी आदि पेश की गई हैं। जिसके अनुसार उक्त भूमि मकबूजा सरकार सिवायचक किस्म बंजर दर्ज है। इससे यह स्पष्ट है कि जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा विवादित भूमि जब सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित की गयी थी उस समय किस्म सिवायचक बंजर दर्ज थी तथा सिवायचक भूमि को राज0 भू–राजस्व

5.5.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

आरक्षित किये जाने का आदेश जारी किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.2000 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 4.4.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर